XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R: 1554 II 12 ..... जिला ..... जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.7.15	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा न्यायालयीन प्रकरण कमांक 1/1 बी–121 2011–12 में आर्डरशीट दिनांक 18–4–12 की कार्यवाही से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया हैं कि आवेदक तजमुल हुसैन को न्यायालय तहसीलदार पन्ना के प्र.क. 2/अ–19 वर्ष 1992–93 में आदेश दिनांक 30–09–1993 द्वारा ग्राम पुरूषोत्तमपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 233 रकवा 2.00 हे0 का व्यवस्थापन किया गया था। उनका कब्जा चला आ रहा है। शासकीय अभिलेख में त्रुटिवश शासन के नाम दर्ज होने से आवेदक का नाम अमल दरामद हेतु कार्यवाही किए जाने पर न्यायालय कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया है। जिसमें शासकीय अभिलेख में दुरूस्ती किए जाने बावत् निर्देशित किए जाने के उपरांत भी उसका पालन नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर पन्ना को पुनः निर्देश दिए जाना एवं रिकार्ड सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दिनांक 27–12–10 को आवेदक के पक्ष में स्थगन जारी कर पुनः ग्राहता पर नियत किया गया और निरंतर पेशियां लगा कर प्रतिवेदन मंगाये जाने की कार्यवाही की जा रहीं है। न्यायालय कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–2007 तथा न्यायालय कलेक्टर द्वारा जारी पत्र दिनांक 08–06–2010 एवं 15–06–2010 जिसमें एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही कर अवगत किए जाने एवं प्रतिवेदन कार्यालय को भेजे जाने का उल्लेख किया है। इसके उपरांत भी पारित आदेश की पालना न कर अपर कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदन की मांग किए जाने की कार्यवाही निरस्त कर निगरानी स्वीकार करते हुए राजस्व रिकार्ड सुधार किए जाने के आदेश दिए जाने का आग्रह किया है। आवेदक द्वारा तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक को तहसीलदार पन्ना द्वारा दि. 30.09.1993 को	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

व्यवस्थापन का पट्टा दिया गया है। अपर कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क. 32/निग. 2001–02 आदेश दिनांक 05–08–02 में आवेदक के आवेदन पर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था कि साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत न्यायोचित निर्णय पारित करे। इसी प्रकार कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 26 निग./06–07 में आदेश दिनांक 07–02–2007 में उल्लेख किया है कि उपरोक्त आदेश का पालन तहसीलदार तीन माह के अंदर करे। अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा आवेदक के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया है इसके पश्चात प्रतिवेदन की मांग संबंधी कार्यवाही की जाकर पेशी बढ़ाई जाना प्रतीत होता है। इस कारण मैं प्रचलित कार्यावाही न्यायोचित नहीं पाता हूँ।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी अंशतः स्वीकार करते हुए अपर कलेक्टर जिला पन्ना को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है। कि वे न्यायालयीन आदेश दिनांक 07–02–02 के पालन में रिकार्ड सुधार के निर्देश तहसीलदार पन्ना को दें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य

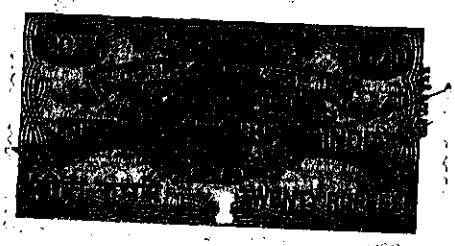

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

तजमुल हुसैन पिता सब्दल हुसैन

आवेदक R-1554-II/12

विरुद्ध

म.प्र. शासन

अनावेदक

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.रा संहिता संशोधित अधिनियम 2011 के तहत

उपरोक्त आवेदक न्यायालय अपर कलेक्टर जिला पन्ना सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 1 / 1/बी/121/2011-12 में पारित ओदश दिनांक 18.04.2012 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों सहित प्रस्तुत करता है।

1. यह कि प्रकरण सक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा एक आवेदन श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया था कि निगरानी प्रकरण क्रमांक 17/अ 6 अ /01-02 में पारित आदेश जिसमें दो माह के अंदर कार्यवाही अमल में लाने हेतु निर्देश श्रीमान कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित किये गये थे जिसका पालन नहीं किया गया है। पालन कराया जाए किन्तु 25.03.2010 के पश्चात् 18.04.2012 तक पारित आदेश का पालन न किया जाकर मात्र प्रतिवेदन मगाए जाने हेतु उल्लेखित किया है। इस कारण यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक को विगत 15-17 वर्ष पूर्व शासन से पटटा प्राप्त हुआ था आवेदक उसके पूर्व से कब्जे में चला आ रहा है किन्तु उस पटटे आदेश के तहत शासकीय अभिलेख में विवादित भूमि शासन के नाम चली आ रही है आवेदक का नाम अमल नहीं हुआ है जिसके संबंध में आवेदक द्वारा श्रीमान कलेक्टर जिला पन्ना को कई कार्यवाही की है और उसके पक्ष में निराकरण किया गया है और शासकीय अभिलेख में दुरुस्त किए जाने बाबत निर्देशित किये जाने के उपरांत भी उसका पालन नहीं हो पाया है ऐसी स्थिति में पुनः निर्देश दिए जाना एवं राजस्व रिकार्ड सुधार किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

AJAY SHRIVASTAVA, ADVOCATE
ITWARI HILLS SAGAR